दिनांक	न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी प्रकरण संख्या :– बनाम	रिमार्क
10/5/25	वादी उपस्थित/अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी अभिभाषक ने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर नोट प्रेस किया/विड्रो किया/खारिज करने का निवेदन किया गया। उक्त आधारों पर बाद/प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सदस्य बैच संख्या –3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट अध्यक्ष बैच संख्या –3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट	Not Press N. R. Bish

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बापिणी।

राजस्व वाद संख्याः– /2023

वादीः– लक्ष्मणसिंह पुत्र मंगलसिंह आयु 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी बापिणी, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. उगमसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, जाति राजपूत, निवासी बापिणी खुर्द, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

प्रफोर्मा पक्षकार

2. अनोपसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह
3. उम्मेदसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह
4. कालूसिंह पुत्र श्री राजसिंह
5. कोलसिंह पुत्र श्री राजसिंह
6. गोविन्दसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह
7. जमनाकंवर पुत्री श्री मोहनसिंह
8. जोधसिंह पुत्र श्री राजसिंह
9. देवीसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह
10. दाकूकंवर पत्नी श्री चिमनसिंह
11. नेनुकवंर पुत्री श्री मोहनसिंह
12. नरपतसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह
13. फतेहसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह
14. बुद्धीकंवर पुत्री श्री मोहनसिंह
15. बागसिंह पुत्र श्री राजसिंह
16. मदनसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह
17. मालमसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह
18. मोडसिंह पुत्र श्री चिमनसिंह
19. रेवतसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह

20. रसालकंवर पत्नी श्री मोहनसिंह

21. सिरेकंवर पत्नी श्री राजसिंह

22. हीरसिंह पुत्र श्री राजसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासी बापिणी हाल भादा

तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

23. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 (त्रेपन) व 188 (एक सौ इठयासी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी,

वादी का वाद निम्न प्रकार हैं:—

1. यह हैं कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 384 (तीन सौ चौरासी) रकबा 15.2323 (पन्द्रह दशमलव दो तीन दो तीन) हैक्टेयर, मौजा ग्राम भादा, पटवार हल्का बेदू, तहसील बापिणी जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है। जो आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी। चालु जमाबन्दी व नक्शे की नकलें साथ में पेश है।
2. यह है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/10 (एक बट्टा दस) हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 (एक) का 1/10 (एक बट्टा दस) हिस्सा है जो संलग्न जमाबन्दी से स्पष्ट है तथा अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से राजस्व रेकर्ड में अलग—अलग दर्ज हो रखे है।
3. यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका मौके पर वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया हुआ है तथा नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये भू—भाग पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो ग्राम बापिणी की सरहद के पास स्थित है। वादी ने वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त एवं वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन करवाने हेतु कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 (एक) वादी को तरह—तरह के बहाने बताते रहे जिसे वादी हकीकत समझाता रहा। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 (एक) वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा

काश्त अनुसार विभाजन नहीं करवाना चाहता है। वादी वादग्रस्त भूमि से करीब 15 (पन्द्रह) किलोमीटर दूर अन्य भूमि में रहता है। जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 (एक) नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार वादी के हक हिस्से की भूमि पर दखलंदाजी करता रहता है तथा कब्जा करने हेतु उतारू रहता है।

4. यह है कि हाल ही में दिनांक 21.09.2023 (इक्कीस सितम्बर दो हजार तेबीस) को वादी वादग्रस्त भूमि की देखभाल हेतु मौके पर गया तो देखा कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) वादी के हक हिस्से व कब्जा काश्त सुदा भूमि में तविया निकाल रहा था तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 (एक) को वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से व कब्जा काश्त सुदा भूमि में तविया निकालने से प्रतिवादी संख्या 1 (एक) को मना किया तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने कहा कि मैं इस पूरी भूमि पर कब्जा करूंगा तथा राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं करवाउंगा तब वादी ने गांव मुख्यान के द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से समझाईश की कोशिश परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 (एक) नहीं मान रहा है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने से मना कर दिया तथा मौके से अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकियां दे रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वादी को मजबूरन यह वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

5. यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका मौके पर वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया हुआ है तथा इसी अनुसार वादी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

6. यह है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर विभाजन किया हुआ है उसी अनुसार वादी राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाना चाहता है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 (एक) मौके पर कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं करवाना चाहते है तथा मौके से वादी को बेदखल करना

चाहते है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने वादी को अपने हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो में नहीं की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में बनता है।

7. यह है कि बिनाय दावा दिनांक 21.09.2023 (इक्कीस सितम्बर दो हजार तेबीस) को उस वक्त पैदा हुआ जब वादी वादग्रस्त भूमि की देखभाल हेतु मौके पर गया तो देखा कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) वादी के हक हिस्से व कब्जा काश्त सुदा भूमि में तविया निकाल रहा था तब वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 (एक) को वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से में तविया निकालने से मना किया तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने कहा कि मैं इस पूरी भूमि पर कब्जा करूंगा तथा राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं करवाउंगा तब वादी ने गांव मुख्यान के द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से समझाईश की कोशिश परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 (एक) नहीं मान रहा है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने से मना कर दिया तथा मौके से अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकियां देने पर उत्पन्न हुआ जो आज भी निरन्तर विद्यमान है।

8. यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम भादा, पटवार हल्का बेदू, तहसील बापिणी, जिला फलोदी में स्थित होने तथा दावा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

9. यह है कि प्रतिवादी संख्या 23 (तेबीस) भूमिधारी होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार बनाये गये है वरन् उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 (दो) से 22 (बाईस) प्रफोर्मा पक्षकार है।

10. यह है कि वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का निर्धारित न्यायालय शुल्क रूपये 2 (दो) के स्टाम्प के अलावा तलबाना के पेश है।

11. यह है कि इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार है:–

1. कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 384 (तीन सौ चौरासी) रकबा 15.2323 (पन्द्रह दशमलव दो तीन दो तीन) हैक्टेयर, मौजा ग्राम भादा, पटवार हल्का बेदू, तहसील बापिणी जिला फलोदी में वादी के 1/10 (एक बट्टा दस) हिस्से की भूमि वाद पत्र के

साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया जाकर अलग किये जाने का आदेश सादिर फरमावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

2. कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 (एक) इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि में वादी के हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें, वादी को बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें।
3. कि अन्य अनुतोष जो न्यायालय हाजा की नजर में वादी प्रतिवादी संख्या 1 (एक) के विरूद्ध प्राप्त करने के अधिकारी है, दिलाया जावें।
4. कि वाद खर्चा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) से दिलवाया जावें।

H.R. Bishnoi
26/9/23

जरिये अधिवक्ता

वादी

तस्दीकः–

मैं लक्ष्मणसिंह पुत्र मंगलसिंह आयु 60 (साठ) वर्ष, जाति राजपूत, निवासी बापिणी, तहसील बापिणी, जिला फलोदी हल्फ से तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र के पद संख्या 1 (एक) से 6 (छः) में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है पद संख्या 7 (सात) से 10 (दस) कानूनी है जो मुझे कानूनी सलाह अनुसार सही मानता हूँ तथा पद संख्या 11 (ग्यारह) इस्तदुआ वादी है जो सही एवं सत्य है। सत्य बोलने में ईश्वर मेरी मदद करें।

H.R. Bishnoi
26/9/23

तस्दीककर्ता